**हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा**

अधिसूचना

शिमला–4, 24 अगस्त, 2009

**संख्या वि0स0–लैज–गवरनमैंट बिल/1–36/2009.**––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 20) जो आज दिनांक 24 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव।

————————

**2009 का विधेयक संख्यांक 20**

# हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन अधिनियम, 2009 है।

2. **धारा 5 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 (1971 का 22) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 5 में –

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, कलक्टर धारा 4 के अधीन नोटिस जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर बेदखली का आदेश करेगा, तथापि, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अवधि को तीन मास तक के लिए और बढ़ाया जा सकेगा ।''; और

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :––

''(2) यदि कोई व्यक्ति बेदखली के आदेश का, उपधारा (1) के अधीन इसके प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पालन करने से इन्कार करता है या

असफल रहता है तो कलक्टर या उस द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उपर्युक्त वर्णित अवधि के अवसान के पन्द्रह दिन के पश्चात् उस व्यक्ति को बेदखल कर सकेगा और सरकारी स्थान का कब्ज़ा ले सकेगा तथा उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हो ।

(3) कलक्टर, इस धारा के अधीन बेदखल व्यक्ति पर दस हज़ार रुपए तक या स्थान के बाजार मूल्य, जो भी उच्चतर हो, का जुर्माना अधिरोपित करेगा।''।

**3. धारा 7 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 7 में उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु उपधारा (1) और (2) के अधीन प्रत्येक आदेश छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा तथापि कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अवधि को तीन मास तक के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।''।

**4. धारा 9 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 9 में उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

''(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील आयुक्त द्वारा तीन मास की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी ।''।

**5. धारा 11 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 11 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

''(1) यदि कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी सरकारी स्थान से बेदखल किया गया हो स्थान को पुनः अपने अधिभोग में, ऐसे अधिभोग के लिए प्राधिकार के बिना लेता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हज़ार रुपए तक का हो सकेगा या स्थान के बाजार मूल्य के दुगुने से, जो भी उच्चतर हो, या दोनों से, दण्डनीय होगा।''।

————————

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 सरकारी स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के लिए और कतिपय आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करता है । विद्यमान उपबन्धों के अधीन समय सीमा की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके भीतर अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के मामले और कलक्टर के बेदखली आदेश के विरूद्व अपीलें विनिश्चित की जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त, सरकारी भूमि पर अधिक्रमण की बढ़ती हुई प्रवृति के दृष्टिगत और ऐसी प्रवृति को नियन्त्रित करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के शास्तिक उपबन्ध को अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता समझी गई है। माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने भी सी0 आर0 एम0 पी0 (एम0) 140–1299/2008 नामतः श्री योगिन्द्र सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में यह संप्रेक्षित किया है कि अधिक्रमण के मामलों को विनिश्चित करने के लिए एक नियत समय सीमा होनी चाहिए और वन भूमि सहित सरकारी भूमि पर व्यक्तियों द्वारा अधिक्रमण की प्रवृति को नियन्त्रित करने के लिए अधिक्रमण के मामलों का निपटारा सख्ती से करना अपेक्षित है ।

अतः अधिक्रमण के मामलों का सख्ती से निपटारा करने और वन भूमि सहित सरकारी भूमि पर अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के लिए ऐसी समय सीमा, जिसके भीतर अधिक्रमण और अप्राधिकृत अधिभोग के मामले विनिश्चित किए जाने चाहिए, नियत करने और ऐसे उल्लंघन के लिए शास्ति में वृद्धि करने

का भी विनिश्चय किया गया है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

**(महेन्द्र सिंह)**
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख :.....2009

———

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

———

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

---

**इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभाावित होने वाले हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 22) के उपबन्धों के उद्धरण।**

**धाराएं :**

**5. अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली.**—(1) यदि धारा 4 के अधीन सूचना के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शित कारण पर, यदि कोई हो, और किसी साक्ष्य पर, जिसे वह उसके समर्थन में पेश करे, विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कलक्टर का समाधान हो जाता है कि सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोग में है तो, कलक्टर, बेदखली का आदेश दे सकेगा, जिसमें उसके कारण अभिलिखित होंगे और यह निदेश होगा कि उस सरकारी स्थान को उस प्रयोजन के लिए नियत तारीख को, उन सब व्यक्तियों द्वारा, जो उसका अथवा उसके किसी भाग का अधिभोग कर रहे हैं, खाली कर दिया जाए और उस आदेश की एक प्रति उस सरकारी स्थान या सम्पदा जिस में सरकारी स्थान स्थित है के बाहरी द्वार या किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर लगवाएगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति बेदखली के आदेश का उपधारा (1) के अधीन इसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अन्दर पालन करने से इन्कार करता है या असफल रहता है तो, कलक्टर या उस द्वारा उस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उस व्यक्ति को उस सरकारी स्थान से बेदखल कर सकेगा और उसका कब्जा ले सकेगा तथा उस प्रयोजन के लिए इतने बल का प्रयोग कर सकेगा जितना आवश्यक हो ।

**7. सरकारी स्थान के सम्बन्ध में किराया संदत्त या नुकसानी दिए जाने की अपेक्षा करने की शक्ति.––**(1) जहां किसी सरकारी स्थान के सम्बन्ध में देय किराए का बकाया किसी व्यक्ति द्वारा संदेय हो वहां कलक्टर उस व्यक्ति से आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे इतने समय के अन्दर संदत्त करे जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो ।

(2) जहां कोई व्यक्ति किसी सरकारी स्थान का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहा हो या किसी समय करता रहा हो वहां कलक्टर नुक्सानी के निर्धारण के ऐसे सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर, जो विहित किए जाएं, ऐसे स्थान के प्रयोग और अधिभोग के कारण नुक्सानी का निर्धारण कर सकेगा और आदेश द्वारा उस व्यक्ति से इतने समय के अन्दर नुक्सानी संदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो ।

(3) किसी व्यक्ति के विरूद्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को यह अपेक्षा करने वाला नोटिस जारी न कर दिया गया हो कि वह उतने समय के अन्दर जितना नोटिस में विनिर्दिष्ट हो कारण दर्शित करें कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और जब तक उसकी आपत्तियों पर, यदि कोई हो, और किसी साक्ष्य पर, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, कलक्टर द्वारा विचार न कर लिया गया हो ।

**9. अपीलें.––**(1) किसी सरकारी स्थान के सम्बन्ध में धारा 5 या धारा 7 के अधीन किए गए कलक्टर के प्रत्येक आदेश की अपील आयुक्त को होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील––

(क) उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश से अपील की दशा में उस धारा की उपधारा (1) के अधीन उस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अन्दर की जाएगी ; और

(ख) धारा 7 के अधीन किसी आदेश से अपील की दशा में उस तारीख से जिस को वह आदेश अपीलार्थी को संसूचित किया जाए, तीस दिन के अन्दर की जाएगी :

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाए कि अपीलार्थी समय पर अपील फाईल करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था तो वह अपील को तीस दिन की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण कर सकेगा ।

(3) जहां कलक्टर के किसी आदेश से अपील की जाए वहां आयुक्त उस आदेश का प्रवर्तन इतनी कालावधि के लिए और ऐसी शर्तों पर रोक सकेगा जो वह उचित समझे ।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील आयुक्त द्वारा यथा सम्भव शीघ्रता से निपटाई जाएगी ।

(5) इस धारा के अधीन किसी अपील के खर्चे आयुक्त के विवेकाधीन होंगे ।

**11. अपराध और शास्ति.––**(1) यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी सरकारी स्थान से बेदखल किया गया हो ऐसे स्थान को पुनः अपनी अधिभोग में, ऐसे अधिभोग के लिए प्राधिकार के बिना, लेगा तो वह करावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हज़ार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला कोई मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को संक्षिप्ततः बेदखल करने के लिए आदेश दे सकेगा और किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर जो उसके विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन की जा सकेगी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह ऐसी बेदखली का भागी होगा ।

———————

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 20 of 2009**

# THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC PREMISES AND LAND (EVICTION AND RENT RECOVERY) AMENDMENT BILL, 2009

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

## BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 ( Act No. 22 of 1971).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India, as follows:-

**1.** *Short title.*—This Act may be called the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Act, 2009.

**2.** *Amendment of section* 5.—In section 5 of the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 (22 of 1971) ( hereinafter referred to as the 'principal Act')—

(a) after sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that subject to the provisions of this Act or any rules made thereunder, the Collector shall make an order of eviction within a period of six months from the date of issuance of notice under section 4, however, the period may further be extended by three months for the reasons to be recorded in writing."; and

(b) for sub-section (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(2) If any person refuses or fails to comply with the order of eviction within fifteen days of the date of its publication under sub-section (1), the Collector or any other officer duly authorized by him in this behalf may evict that person, within fifteen days after expiry of the above mentioned period, and take possession of the public premises and may, for that purpose, use such force as may be necessary.

(3) The Collector shall impose upon the person evicted under this section a fine upto ten thousand rupees or the market value of the premises whichever is higher.".

**3.** *Amendment of section* 7.—In section 7 of the principal Act, after sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that every order under sub-sections (1) and (2) shall be made within a period of six months, however, the period may further be extended by three months for the reasons to be recorded in writing .".

**4.** *Amendment of section* 9.—In section 9 of the principal Act, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(4) Every appeal under this section shall be disposed of by the Commissioner within a period of three months .".

**5.** *Amendment of section* 11.—In section 11 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

" (1) If any person who has been evicted from any public premises under this Act, again occupies the premises without authority for such occupation, he shall be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to twenty thousand rupees or twice the market value of the premises, whichever is higher, or with both.".

———

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 provides for the eviction of un-authorized occupants from public premises and for certain incidental matters. Under the existing provisions there is no provision of time frame within which the cases of eviction of un-authorised occupants and appeals against eviction order of the Collector should be decided. Further, keeping in view, the rising trend of encroachment on the Government land and to curb such tendency, it has been felt necessary to make the penalty provision of the Act ibid more stringent. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in Cr. M.P.(M) 140-1299/2008 titled as Sh. Yoginder Singh Vs State of H.P. has also observed that there should be a fixed time frame to decide the cases of encroachment and the cases of encroachment are required to be dealt with sternly to curb the tendency of the persons to encroach upon the Government land including forest land.

Thus, in order to deal firmly with cases of encroachment and eviction of un-authorised occupants on Government land including forest land, it has been decided to fix the time limit within which case of encroachment and un-authorised occupation should be decided and also to enhance the penalty for such contravention . In view of above, it has been decided to amend the Act ibid suitably.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives .

**(MAHENDER SINGH)**
*Minister-in-Charge.*

**SHIMLA:**

The....., 2009.

## FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

---

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

---

**EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC PREMISES AND LAND (EVICTION AND RENT RECOVERY) ACT, 1971(ACT NO. 22 OF 1971) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL**

*Sections:*

**5. Eviction of un-authorised occupants**.— (1) if, after considering the cause, if any, shown by any person in pursuance of a notice under section 4 and any evidence he may produce in support of the same and after giving him a reasonable opportunity of being heard, the Collector is satisfied that the public premises are in unauthorized occupation, the Collector may, on a date to be fixed for the purpose , make an order of eviction, for reasons to be recorded therein directing that the public premises shall be vacated by all persons who may be in unauthorized occupation thereof or any part thereof, and cause a copy of the order to be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the public premises or of the estate in which the public premises are situate.

(2) if any person refuses or fails to comply with the order of eviction within thirty days of the date of its publication under sub-section(1), the Collector or any other officer duly authorized by him in this behalf may evict that person from and take possession of the public premises and may, for that purpose, use such force as may be necessary.

**7. Power to require payment of rent or damages in respect of public premises**.—(1) Where any person is in arrears of rent payable in respect of any public premises, the Collector, may, by order, require that person to pay the same within such time as may be specified in the order.

(2) Where any person is, or has at any time been, in unauthorized occupation or any public premises, the Collector may, having regard to such principles of assessment of damages as may be prescribed, assess the damages on account of the use and occupation of such premises and may, by order, require that person to pay the damages within such time as may be specified in the order.

(3) No order under sub-section(1) or sub-section(2) shall be made against any person until after the issue of a notice in writing to the person calling upon him to show cause within such time as may be specified in the notice why such order should not be made, and until his objections, if any, and evidence he may produce in support of the same have been considered by the Collector.

**9. Appeals**.—(1) An appeal shall lie from every order of the Collector made in respect of any public premises under section 5 or section 7 to the Commissioner.

(2) An appeal under sub-section(1) shall be preferred-

(a) in the case of an appeal from an order under section 5, within thirty days from the date of publication of the order under sub-section (1) of that section; and

(b) in the case of an appeal from an order under section7, within thirty days from the date on which the order is communicated to the appellant:

Provided that the Commissioner may entertain the appeal after the expiry of the period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(3) Where an appeal is preferred from an order of the Collector, the Commissioner may stay the enforcement of that order for such period and on such conditions as he deems fit.

(4) Every appeal under this section shall be disposed of by the Commissioner as expeditiously as possible.

(5) The costs of any appeal under this section shall be in the discretion of the Commissioner.

**11. Offences and penalty**.— (1) If any person who has been evicted from any public premises under this Act again occupies the premises without authority for such occupation, he shall be punishable with imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

(2) Any Magistrate convicting a person under sub-section (1) may make an order for evicting that person summarily and he shall be liable to such eviction without prejudice to any action that may be taken against him under this Act.